"यह कार्य मूल रूप से अंग्रेजी में रचित पाठ का हिंदी रूपान्तरण मात्र है। कोई भी विसंगति होने की स्थिति में अंग्रेजी का मूल पाठ ही मान्य होगा।"

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध तथा निवारण के लिए एनसीईआरटी नीति

उद्देशिका

एनसीईआरटी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को सुरक्षित, जेन्डर समावेशी तथा समर्थनकारी परिवेश उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें कार्यस्थल एवं विद्यालयों में इसके अकादमिक, गैर -अकादमिक स्टॉफ, विद्यार्थी तथा बच्चे शामिल हैं। इसमें कार्मिक की नौकरी के दौरान तथा उसके निमित्त किया गया दौरा और कोई स्थान जिसमें ऐसी यात्रा हेतु नियोक्ता द्वारा उपलब्ध करवाया गया परिवहन तथा रहने का स्थान अथवा एक घर भी शामिल है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न उस संस्थान के समग्र कर्म लोकाचार को प्रभावित करता है। यह व्यावहारिक जेन्डर समानता के प्रभावशाली स्थायित्व को प्रभावित करता है जैसाकि संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित है। यौन उत्पीड़न में शारीरिक एवं मानसिक हिंसा के वे सभी रूप शामिल हैं जिनके परिणामस्वरूप महिलाओं को अपनी सर्वोत्तम योग्यताओं के अनुसार अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इससे संविधान की धारा 14 एवं 15 का पालन तथा संविधान की धारा 21 में उल्लिखित उसके जीवन का अधिकार और गरिमामय जीवन जीने के अधिकार का निर्वहन बाधित होता है। भारत सरकार का कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध तथा निवारण अधिनियम 2013, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरूद्ध तथा उससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मुद्दों हेतु संरक्षण उपलब्ध करवाता है। यह अधिनियम भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1997 में जारी किए गए विशाका दिशानिर्देशों का विस्तार है। विशाका दिशानिर्देशों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को पहली बार भारत के उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में स्वीकार किया था।

यौन उत्पीड़न के विरूद्ध संरक्षण तथा गरिमा सहित कार्य करने का अधिकार कॉनवेन्शन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमीनेशन अगेन्स्ट वीमन जैसे अन्तराष्ट्रीय समझौतों तथा दस्तावेज़ों द्वारा सार्वभौमिक रूप से मानवाधिकार के रूप में स्वीकार किए गए हैं जिसकी 25 जून 1993 को भारत सरकार द्वारा अभिपुष्टि की गयी है। इसके संबंध में, एनसीईआरटी अपने सभी कार्मिकों के लिए यौन उत्पीड़न के सभी रूपों से मुक्त सुरक्षित परिवेश सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी लेती है। यह अपने सभी कार्मिकों को सुरक्षित कार्यस्थल तथा सभी के लिए एक गरिमापूर्ण कार्यकारी लोकाचार सुनिश्चित करने हेतु हरसंभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Scanned by CamScanner

नीति के उद्देश्य

- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम 2013 के निर्देशों को पूरा करना।
- किसी भी आयु की महिलाओं और बालिकाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रहने के अधिकार और आजीविका के अधिकार को कायम रखना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यौन उत्पीड़न के सभी रूपों की रोकथाम करना और शिकायत का निवारण करना।
- एनसीईआरटी और इसकी संघटक इकाइयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यस्थल, महाविद्यालय तथा विद्यालय में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए स्थाई क्रियाविधि विकसित करना।
- ऐसी जेन्डर संवेदनशील कार्य लोकाचार को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना जिसमें सभी के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़े तथा विशेषत: बालिकाओं एवं महिलाओं पर हुए यौन उत्पीड़न के सभी रूपों में किए गए कृत्यों पर रोक लगे।
- सभी आवश्यक और यथोचित कदम उठाकर नीति का व्यवहार और अभिप्राय में कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। इसमें सभी कार्मिकों को जेन्डर संवेदनशील बनाने तथा यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एन.आई.ई.) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आरआईई) तथा पंडित सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई) में उपयुक्त समितियों का गठन करना शामिल है।
- लड़कियों एवं महिलाओं के प्रति भेदभाव और हिंसा के सभी रूपों से मुक्त जेन्डर समावेशी परिवेश उपलब्ध करवाने तथा समर्थ बनाने की एन.सी.ई.आर.टी. एवं इसके संघटकों की प्रतिबद्धता को कायम रखना।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध जनमत बनाना। (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 ।

परिभाषाएँ

अ) **यौन उत्पीड़न :** प्रत्यक्ष रूप से अथवा निहितार्थ रूप में निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अधिक अवांछनीय व्यवहार नामत:

(i) शारीरिक संपर्क और प्रस्ताव अथवा

(ii) यौन स्वीकृति के लिए मांग अथवा अनुरोध: अथवा

(iii) यौन रंजित टिप्पणियाँ करना

(iv) अश्लील साहित्य दिखाना अथवा

(v) यौन स्वरूप कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक अथवा मूक व्यवहार

उपर्युक्त को निम्नप्रकार विस्तारपूर्वक बताया गया है:

Scanned by CamScanner

- जब यौन नियतन अवांछनीय व्यवहार जैसे शारीरिक संपर्क तथा प्रस्ताव, अथवा यौन स्वीकृति के लिए कोई मांग अथवा अनुरोध, यौन प्रकृति वाला मौखिक अथवा शारीरिक आचार, यौन रंजित संकेतों वाली टिप्पणियाँ, अश्लील साहित्य दिखाना तथा यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक अथवा मूक आचार प्रस्तुत किया जाए।
- जब अवांछनीय कामुक रूप से प्रवृत्त व्यवहार - जिसमें केवल कामुक हरकतें, शारीरिक और/अथवा मौखिक या मूक आचरण जैसे कामुक टिप्पणियाँ अथवा मज़ाक, पत्र, फोन करना, एसएमएस, व्हाट्सऐप अथवा ईमेल भेजना, अश्लील मुद्राएँ, अश्लील साहित्य का प्रदर्शन, डरावने ढंग से घूरना, शारीरिक संपर्क, लुक-छिप कर पीछा करना, अपमानजनक स्वरूप की ध्वनियाँ निकालना और/अथवा प्रदर्शन करना ही नहीं अपितु किसी महिला के कार्य या शैक्षिक निष्पादन में हस्तक्षेप करने का उद्देश्य और/अथवा प्रभाव रखते हों अथवा रोजगार, शिक्षा अपना जीवन संबंधी एक डरावना, प्रतिकूल अथवा आक्रामक परिवेश उत्पन्न करते हों, अवांछनीय कामुक रूप से प्रवृत्त व्यवहार में उपर्युक्त व्यवहार तो शामिल है किंतु यह इतने तक ही सीमित नहीं है।
- जब कोई पुरूष किसी महिला की सहमति के बिना अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध शरीर को अथवा शरीर के किसी भाग को अथवा किसी वस्तु को शरीर के विस्तार के रूप में कामुक इरादे से प्रयुक्त करता है तो यह कामुक आक्रमण कहलाएगा।
- यदि यौन उत्पीड़न के किसी कृत्य या व्यवहार से संबंधित या जुड़ी हुई दुराग्रही घटना होती है तो अन्य परिस्थितियों के बीच निम्नवत परिस्थितियों को यौन उत्पीड़न माना जाएगा - किसी महिला के नियोजन में वरीयता वाले व्यवहार का समाविष्ट अथवा स्पष्ट वचन; अथवा उसके नियोजन में हानिकारक व्यवहार की समाविष्ट अथवा स्पष्ट धमकी; या उसके वर्तमान एवं भावी नियोजन के बारे में समाविष्ट अथवा स्पष्ट होना; या उसके कार्य में दखल देना अथवा उसके लिए डरावना या हिंसात्मक या प्रतिकूल कार्य वातावरण उत्पन्न करना या उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को दुष्प्रभावित करने वाला व्यवहार करना।
- **यह स्पष्ट किया जाता है कि यह महिला की तर्कपूर्ण अवधारणा (बोध) के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा कि कोई आचरण कामुक इरादे से किया गया था और, यदि ऐसा था, तो यह आचरण अवांछित था अथवा नहीं और इस आचरण को लेकर महिला द्वारा उठाई गई आपत्ति उसकी शिक्षा या रोजगार के और साथ ही साथ मूल्यांकन, ग्रेडिंग (श्रेणीकरण), भर्ती अथवा पदोन्नति के संबंध में उसके लिए हानिकारक होगी, अथवा इससे उसका कामकाजी, शैक्षिक अथवा जीवन परिवेश प्रतिकूल बनेगा।**

(ख) **'प्रतिकूल परिवेश'** बनना तब कहा जाता है जब यौन उत्पीड़न का कोई आचरण किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन में हस्तक्षेप करने का इरादा या प्रभाव रखता हो अथवा शैक्षिक अथवा जीवन परिवेश को डरावना, प्रतिकूल या आक्रामक परिवेश बनाता हो।

(ग) **अकादमिक स्टाफ** में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षक और अन्य ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो विद्यार्थियों को शिक्षा/अनुदेश अथवा मार्गदर्शन प्रदान करने अथवा किसी भी

Scanned by CamScanner

अध्ययन-पाठयक्रम की पढ़ाई में उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए नामोद्दिष्ट किए गए हों। इसमें कोई भी व्यक्ति या परिषद स्टाफ शामिल है जो किसी शिक्षण और/अथवा अनुसंधान पद पर चाहे पूर्णकालिक रूप से, अस्थायी अथवा तदर्थ, अंशकालिक रूप से, अभ्यागत, मानार्थ, परामर्श अथवा विशेष ड्यूटी अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हो। इसमें अनियत अथवा परियोजना आधार पर नियुक्त व्यक्ति भी शामिल हैं। एन.सी.ई.आर.टी. से संबंधित संस्थानों के अकादमिक स्टाफ में नियुक्त व्यक्ति एनसीईआरटी में ठहरने के दौरान इस नीति के अंतर्गत शामिल माने जाएंगे जब वे एन.सी.ई.आर.टी. से संबंधित कार्य कर रहे हों या किसी कार्यशाला/संगोष्ठी/ प्रशिक्षण/सम्मेलन/परामर्श में भाग ले रहे हों। यह सभी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों तथा पीएसएससीआईवीई पर लागू होगा।

गैर अकादमिक स्टाफ में एनसीईआरटी और इसके संघटकों में कार्यरत स्टाफ का अथवा उसके लिए काम कर रहा वह प्रत्येक व्यक्ति शामिल है, जो अकादमिक स्टाफ की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। इसमें प्रशासनिक स्टाफ, तकनीकी स्टाफ, अधिकारी, परामर्शदाता, सहायक स्टाफ **संविदागत कार्मिक, विविध कार्य कर्मचारी, कैन्टीन तथा छात्रावास के कर्मचारी तथा दिहाड़ी पर काम कर रहे व्यक्ति शामिल हैं, जब तक कि वे एनसीईआरटी तथा इसके संघटकों से संबंधित कार्यकलापों का निष्पादन कर रहे हों।**

विद्यार्थी में एन.सी.ई.आर.टी. और इसके संघटकों का प्रत्येक विद्यार्थी और ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसने उस अवधि में एन.सी.ई.आर.टी. और इसके संघटकों के किसी भी अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा अनुसंधान के लिए नामांकन करवाया है। इसमें क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के प्रदर्श बहुउद्देशीय विद्यालयों (डीएमएस) के विद्यार्थी भी शामिल हैं।

निदेशक, संयुक्त निदेशक (कों) और प्राचार्य(यों) में एन.सी.ई.आर.टी. के निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी., सीआईईटी और पीएसएससीआईवीई के संयुक्त निदेशक और क्षे.शि.संस्थानों के सभी प्राचार्य शामिल हैं।

कार्यस्थल में एनसीईआरटी मुख्यालय, दिल्ली में सीआईईटी सहित अथवा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में डीएमएस एवं पीएसएससीआईवीई को शामिल करते हुए कार्य के सभी स्थल शामिल हैं। इसमें एनसीईआरटी मुख्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, प्रदर्श बहुउद्देशीय विद्यालय तथा पीएसएससीआईवीई परिसरों में आने वाले अनुदेशन, अनुसंधान और प्रशासन के सभी स्थल तथा पुस्तकालय, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र, खेल के मैदान, पार्क, सड़कें, गलियाँ और कैंटीन आदि शामिल हैं तथा इसमें कर्मचारी द्वारा नियोजन के दौरान तथा उसके निमित्त दौरा किया गया कोई स्थान जिसमें ऐसी यात्रा हेतु नियोक्ता द्वारा उपलब्ध करवाया गया परिवहन भी शामिल है।

नियोक्ता - नियोक्ता से परिषद्/संस्थान विभाग/एककों का अध्यक्ष नियंत्रण अधिकारी, संगठन के संबंध में जैसी भी स्थिति हो, विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, एनसीईआरटी, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों, निदर्श बहुउद्देशीय विद्यालयों तथा पीएसएससीआईवीई के विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है।

Scanned by CamScanner

कार्मिक में वह व्यक्ति शामिल है जो किसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो; चाहे उसकी नियुक्ति सीधे हुई हो अथवा किसी एजेंसी (ठेकेदार सहित) के माध्यम से, मुख्य नियोक्ता की जानकारी से अथवा जानकारी के बिना की गई हो चाहे पारिश्रमिक हेतु अथवा उसके रहित अथवा स्वैच्छिक आधार पर कार्यरत उसके रोजगार की शर्तें चाहे सीधे अभिव्यक्त हों अथवा अंतर्निहित हो और इसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति शामिल है जो अस्थायी, अनियत, मूल्य (काम की मात्रा के अनुसार) दर अथवा ठेके पर काम करने वाला, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षु या अन्य किसी भी नाम से नियुक्त हो। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल होगा जो एनआईई, आरआईई, डी.एम.एस. और पीएसएससीआईवीई द्वारा आवंटित आवास या स्थल का अस्थायी रूप से निवासी हो।

नीति की परिधि और नियम एवं प्रक्रियाएँ

क्षेत्राधिकार

ये नियम एवं प्रक्रियाएं केवल एन.सी.ई.आर.टी. की किसी महिला सदस्य द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. एवं इसके संघटक एककों के किसी पुरूष सदस्य के खिलाफ की गई यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों के संबंध में लागू होंगी, बशर्ते कि यह उत्पीड़न कार्यस्थल पर हुआ हो।

एन.सी.ई.आर.टी. और इसके संघटक एककों के उत्तरदायित्व

- यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध तथा निवारण सहित महिलाओं/छात्राओं के लिए यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित परिवेश सुनिश्चित करना।
- यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण हेतु नीति बनाना और सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना।
- सभी सदस्यों को यौन उत्पीड़न की परिभाषा और शिकायत निवारण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए सक्रिय कार्यक्रम चलाना।
- कर्मचारियों और विद्यार्थियों सहित सदस्यों को यौन उत्पीड़न के संबंध में संवेदनशील बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करना।
- "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" के मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विविध स्थानों पर स्पष्ट रूप से सूचनाएं प्रदर्शित करना जिनमें शिकायत निवारण की उपयुक्त क्रियाविधि के बारे में जानकारी देना और महिलाओं को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करना।
- यौन उत्पीड़न के कृत्य के निवारण के लिए यौन उत्पीड़न विरोधी समिति को प्रारंभ करने के लिए नीति के माध्यम से प्रक्रिया आरंभ करने में सुविधा प्रदान करना।

शिकायत क्रियाविधि और इसके कार्यों के विस्तार क्षेत्र के लिए समितियों का गठन करने के मार्गदर्शी सिद्धांत

(ए) एन.सी.ई.आर.टी. और इसके संघटकों में शिकायत और निवारण क्रियाविधि निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुरूप बनाई गई है:

Scanned by CamScanner

- एन.सी.ई.आर.टी. की देशभर में संरचना और प्रसार को देखते हुए शिकायत निवारण क्रियाविधि को विकेंद्रित करना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि शिकायत क्रियाविधि सभी के लिए सुगम और प्रभावी है। इसी के अनुसार विभिन्न स्तरों पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अलग-अलग समितियाँ उपलब्ध करवाई गई हैं जो शिकायत समिति के रूप में काम करेंगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि यौन उत्पीड़न विरोधी समितियाँ जेन्डर (लैंगिक) संवेदी हैं विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधि सदस्यों को लिया जाएगा।
- यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच के लिए स्वायत्त संस्थागत ढाँचा तैयार करने के लिए, प्रत्येक समिति में एन.सी.ई.आर.टी. से बाहर के ऐसे सदस्यों को शामिल किया जाएगा जो महिला अधिकारों के मुद्दों में योगदान देने के लिए विख्यात हैं।
- उच्चतम न्यायालय के 1997 के निर्णय के अनुसार प्रत्येक समिति में महिला अध्यक्ष का होना अनिवार्य है।
- समिति के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या आधी से कम नहीं होनी चाहिए।
- यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के सभी सदस्यों को तटस्थ और निष्पक्ष होना चाहिए।
- यदि शिकायत जाँच समिति में प्रतिवादी वर्ग का प्रतिनिधि सदस्य एन.सी.ई.आर.टी. के पदानुक्रम में प्रतिवादी से कनिष्ठ है, तब उस जाँच विशेष के लिए समिति में दूसरे व्यक्ति को उस सदस्य की जगह प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो प्रतिवादी से पद में वरिष्ठ हो।
- शिकायत को दर्ज करवाने से शिकायतकर्त्ता के पद/नौकरी, वेतन/पदोन्नति, ग्रेड इत्यादि पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस नीति के अंतर्गत किसी जाँच की विचाराधीनता के दौरान और यौन उत्पीड़न की किसी शिकायत का अंतिम निर्णय होने तक संगठन शिकायतकर्त्ता/सहायक/गवाह की नौकरी/अध्ययन की शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेगा जो शिकायत दर्ज करवाने, इस नीति के अंतर्गत जाँच में सहभागिता अथवा जाँच जारी रखने के परिणामस्वरूप उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

ए) इन सभी समितियों की सांविधिक हैसियत होगी और इन्हें इस नीति का अधिदेश लागू करने का अधिकार होने के साथ-साथ यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच करने का भी अधिकार होगा।

बी) मेधा कोतवाल लेले और अन्य, बनाम यू.ओ.आई. और अन्य, डब्ल्यू.पी. (सीआरएल) सं. 173-177/ 1999 आदेश दिनांक 26.04.04 में उच्चतम न्यायालय के स्पष्टीकरण के अनुसार इस नीति को ध्यान में रखकर गठित की गई यौन उत्पीड़न विरोधी समिति केन्द्रीय सिविल सेवा (सी.सी.एस.) नियमावली के उद्देश्यों हेतु जाँच प्राधिकरण मानी जाएगी और यौन उत्पीड़न विरोधी समिति की रिपोर्ट सी.सी.एस. नियमों के अंतर्गत जाँच रिपोर्ट मानी जाएगी। अनुशासनिक प्राधिकारी यौन उत्पीड़न विरोधी समिति की रिपोर्ट पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

Scanned by CamScanner

यौन उत्पीड़न विरोधी शिकायत समिति की संरचना और गठन

नीति को निम्नलिखित संरचनाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा :

I. **राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान यौन उत्पीड़न विरोधी समिति (एनआईईसीएएसएच)**

मुख्यालय में एक शिकायत एवं निवारण निकाय गठित किया जाएगा जहाँ एनसीईआरटी के शैक्षिक, तकनीकी, प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्यकलाप संचालित होते हैं। एनआईई मुख्यालय में स्थित समिति के क्षेत्राधिकार में सी.आई.ई.टी. सहित एन.सी.ई.आर.टी. मुख्यालय और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों एवं पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.) से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतें शामिल होंगी।

यह समिति इस नीति से संबंधित संपूर्ण जागरूकता, निषेध और निवारण कार्यों के लिए एक मार्गदर्शी निकाय के रूप में कार्य करेगी। निदेशक, विशेष कारणों से इस नीति के अंतर्गत किसी शिकायत को एनआईई सीएएसएच को जांच हेतु सीधा सौंप सकते है।

II. **क्षेत्रीय यौन उत्पीड़न विरोधी समितियाँ (आरआईई सीएएसएच)**

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रत्येक क्षे.शि.सं. और पीएसएससीआईवीई में एक शिकायत और निवारण निकाय स्थापित किया जाएगा। उस संस्थान के पर्यवेक्षकीय क्षेत्राधिकार के भीतर क्षेत्रीय संस्थान में प्राप्त हुई सभी शिकायतें समिति के न्यायाधिकार क्षेत्र में आएगीं। क्षे.शि.सं. और पीएसएससीआईवीई सीएएसएच की अध्यक्ष क्षेशिसं/ पीएसएससीआईवीई की एक महिला सदस्य होनी चाहिए। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में कोई उपयुक्त महिला सदस्य उपलब्ध न होने की स्थिति में, कोई बाह्य महिला सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगी।

संघटन

(i) अ). यौन उत्पीड़न विरोधी क्षेत्रीय समिति (आरआईई सीएएसएच)

इस समिति में एक अध्यक्ष तथा निम्नलिखित वर्गों से लिए गए पांच सदस्य होंगे :-

- भिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो अकादमिक स्टाफ सदस्य
- भिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो गैर-शैक्षिक स्टाफ सदस्य जिनमें एक "अधिकारी" वर्ग से और एक "अन्य स्टाफ" वर्ग से होगा।
- एक महिला सदस्य समिति द्वारा क्षेत्रीय संस्थानों के बाहर से सह-योजित की गई महिला होगी जिसका महिलाओं से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में योगदान हो।

(i).ब) आरआईई सीएएसएच के गठन की प्रक्रिया

आरआईई सीएएसएच हेतु प्रत्येक क्षेत्रीय संस्थान के लिए नामों की सूची क्षेत्रीय संस्थान/पीएसएससीआईवीई के शैक्षणिक एवं गैर-अकादमिक स्टाफ से परामर्श करके क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/पीएसएससीआईवीई के प्राचार्य/संयुक्त निदेशक द्वारा संस्तुत की जाएगी।

Scanned by CamScanner

II.अ) एनआईई यौन उत्पीड़न विरोधी समिति (एनआईई सीएएसएच)

इस समिति में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित वर्गों से लिए गए सात सदस्य होंगे :-

- भिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन अकादमिक सदस्य
- भिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य गैर अकादमिक स्टाफ से जिसमें एक 'अधिकारी' वर्ग से और एक 'अन्य स्टाफ' वर्ग से हो।
- एक महिला व एक पुरूष सदस्य जिसका महिलाओं से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में योगदान होना चाहिए निदेशक एनसीईआरटी द्वारा परिषद् के बाहर से सह-योजित किए जाएगें।

ब) एनआईई सीएएसएच के गठन की प्रक्रिया

अकादमिक स्टाफ सदस्य : जिस एनआईई सीएएसएच समिति का कार्यकाल समाप्त हो रहा होगा वह वर्तमान अकादमिक स्टाफ श्रेणी के लिए कम से कम तीन नामों की संस्तुति करेगी जिसमें से निदेशक एक व्यक्ति का एनआईई सीएएसएच के लिए नामांकन करेंगे।

गैर अकादमिक वर्ग के अन्य स्टाफ सदस्य : जिस एनआईई सीएएसएच समिति का कार्यकाल समाप्त हो रहा होगा वह वर्तमान गैर अकादमिक स्टाफ श्रेणी के लिए कम से कम दो नामों की संस्तुति करेगी जिसमें से निदेशक एक व्यक्ति का एनआईई सीएएसएच के लिए नामांकन करेंगे।

बाह्य विशेषज्ञ : जिस एनआईई सीएएसएच समिति का कार्यकाल समाप्त हो रहा होगा वह कम से कम चार नामों, दो महिला एवं दो पुरूष विशेषज्ञ, की एक सूची की संस्तुति करेगी जिसमें से निदेशक एनआईई कैश के लिए दो विशेषज्ञों, एक महिला और एक पुरूष का नामांकन करेंगे।

कार्यकाल : इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

निरंतरता:

क) यौन उत्पीड़न विरोधी समितियों में निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्यमुक्त हो रही यौन उत्पीड़न विरोधी समिति अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को 2 वर्ष की अवधि के लिए उस समिति के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए नामित करेगी।

ख) समिति द्वारा बने रहने के लिए नामित सदस्य जिस वर्ग से संबंधित हो उस वर्ग का समिति में प्रतिनिधित्व तद्नुसार समायोजित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सदस्यों की किसी भी वर्ग का प्रतिनिधित्व आवश्यकता से अधिक न हो।

ग) किसी भी हालत में समिति का कोई भी सदस्य दो अवधियों से अधिक नहीं बना रह सकता।

यौन उत्पीड़न विरोधी सभी समितियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य

(अ) रोकथाम एवं निषेध

लैंगिक संवेदनशीलता और अभिमुखीकरण

1) ऐसा परिवेश निर्मित करना जहाँ समानता, भेदभावमुक्तता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिले।

Scanned by CamScanner

2) कार्य और अध्ययन का ऐसा परिवेश निर्मित करने के उपायों को प्रोत्साहित करना और सुविधाजनक बनाना जो महिला यौन उत्पीड़न से मुक्त हो।

3) यौन उत्पीड़न विरोधी नीति को हिंदी, अंग्रेजी और उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में व्यापक रूप से प्रचारित करना जहाँ केंद्र स्थित हो, यह कार्य विशेष रूप से विवरणिका, कार्यक्रम संदर्शिका अथवा अन्य उपयुक्त दस्तावेज के माध्यम किया जाना चाहिए और इसको सूचना पट्ट, वेबसाइट, कार्यालयों और आवासीय क्षेत्रों आदि में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

4) एनआईई सीएएसएच तथा आरआईई सीएएसएच समितियाँ मुख्यालय और आर.आई.ई. के सुरक्षा कार्यालय के फोन नंबरों को प्रचारित करेगी।

5) प्रत्येक भर्ती/प्रवेश घोषणा में यह निर्दिष्ट करना आवश्यक होगा कि : एन.सी.ई.आर.टी. यौन उत्पीड़न विरोधी एक नीति का पालन करती है और कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न मुक्त परिवेश उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

6) कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, पोस्टरों, फिल्म प्रदर्शनों, वाद-विवाद कार्यक्रमों आदि के माध्यम से एन.सी.ई.आर.टी. के सदस्यों को लैंगिकता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करना। इन कार्यक्रमों में सहायता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट गैर सरकारी संगठनों की सूची तैयार की जा सकती है।

7) शिकायत समिति स्वत: यह संज्ञान लेगी कि परिसर में लैंगिक सुग्राह्यता के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का घोर उल्लंघन तो नहीं हो रहा।

(ब) निवारण

जाँच पड़ताल

1) कार्यस्थल पर महिलाओं/विद्यार्थियों के यौन उत्पीड़न के बारे में की गई शिकायतों को प्राप्त करना और उनका संज्ञान लेना।

2) इन शिकायतों की जाँच करना, जाँच निष्कर्षों को संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना और विनिर्धारित नियमों और कार्यविधियों के अनुसार दोषी के विरूद्ध दंड की सिफारिश करना।

3) जाँच के दौरान और शिकायत पर अंतिम निर्णय होने तक शिकायतकर्ता और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यदि उत्पीड़क शिकायतकर्ता अथवा गवाहों को धमकाता अथवा परेशान करता है तो संबद्ध प्राधिकारियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे उसे चेतावनी जारी करें, निलंबित करें या अन्य कोई आदेश जारी करें।

4) यह सुनिश्चित करने के प्रयास करना कि उस दौरान जब शिकायत की जाँच पड़ताल चल रही हो शिकायतकर्ता और गवाहों को अधिक परेशान न किया जाए अथवा उनके साथ भेदभाव न किया जाए। समिति ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई करेगी जो शिकायतकर्ता अथवा समिति के सदस्यों को डराता या धमकाता हो। यह कार्रवाई प्रतिवादी अथवा अन्य किसी व्यक्ति(यों) के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने के रूप में हो सकती है।

Scanned by CamScanner

5) शिकायतकर्ता की सहमति से चिकित्सीय, पुलिस और कानूनी दखल पाने का प्रयास करना।

6) यदि शिकायतकर्ता चाहती है तो उसके लिए संपर्क नम्बर प्रदान करने के संबंध में उपयुक्त कानूनी, मनोवैज्ञानिक/भावनात्मक और शारीरिक सहायता की व्यवस्था करना।

7) तृतीय पक्ष/बाहरी व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न के मामले में, पीड़ित महिला की सहमति से, एन.सी.ई.आर.टी. सक्षम प्राधिकारी के साथ तत्काल कदम उठा सकती है और उपयुक्त प्राधिकरण - जिसके क्षेत्राधिकार में वह अपराध आता हो - में शिकायत दर्ज करके कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है। तत्पश्चात् एन.सी.ई.आर.टी. और सभी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों और पीएसएससीआईवीई में समिति, शिकायत दर्ज कराने वाली महिला को शिकायत पर कार्रवाई आगे बढ़ाने में गैर सरकारी संगठनों और परामर्शी सेवाओं की सूचना प्रदान करके सक्रिय रूप से सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी।

यौन उत्पीड़न विरोधी सभी समितियों के लिए दिशानिर्देश

(क) समिति की अध्यक्ष (महिला) और सभी सदस्य निदेशक द्वारा नामित किए गए जाएंगे।

(ख) इनमें से प्रत्येक वर्ग में कम से कम 50% सदस्य महिला होनी चाहिए।

(ग) प्रत्येक समिति की अवधि दो वर्ष होगी। तथापि, नई समिति के गठित किए जाने तक पिछली समिति कार्य जारी रखेगी।

(घ) किसी जाँच के विचाराधीन होने के दौरान यौन उत्पीड़न विरोधी समिति की अवधि समाप्त होने की दशा में वह यौन उत्पीड़न विरोधी समिति उस शिकायत के प्रयोजनों हेतु इस नीति और सेवा नियमों के अंतर्गत तब तक वैध समिति मानी जाएगी जब तक यह अनुशासनिक प्राधिकारी को अपनी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देगी।

(ङ) ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत लंबित हो या जिसे यौन उत्पीड़न/गंभीर कदाचार के लिए अपराधी पाया गया हो, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध बनाई गई किसी भी समिति का सदस्य नियुक्त होने/चुने जाने या नामित अथवा मनोनीत होने या पद पर आगे बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा।

(च) कोई भी ऐसी शिकायत जिसमें प्रतिवादी संस्थान का अध्यक्ष हो, वहाँ उक्त शिकायत की जाँच-पड़ताल एनआईई यौन उत्पीड़न विरोधी शीर्ष समिति एनआईई सीएएसएच द्वारा की जाएगी।

शिकायतें दर्ज करवाने की क्रियाविधि

कोई भी पीड़ित महिला, बालिका विद्यार्थी लिखित में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत यौन उत्पीड़न समिति से घटना की तारिख से तीन माह के अवधि के भीतर और घटनाओं की श्रृंखला के मामले में अंतिम घटना की तारिख से तीन माह की अवधि के भीतर कर सकती है।

बशर्ते की जहाँ ऐसी शिकायत लिखित में न की जा सके, आंतरिक समिति अध्यक्ष अथवा कोई भी सदस्य उस महिला को लिखित शिकायत करने में सारी उचित सहायता प्रदान कर सकता है।

शिकायतें दर्ज करवाने की कार्यविधि सुरक्षित, सुगम और संवेदनशील होनी चाहिए।

सभी शिकायतें शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं आकर की जानी चाहिए।

Scanned by CamScanner

निम्नलिखित अपवाद स्वीकार किए जाएंगे:

- किसी व्यक्ति के बलात् परिरोध के मामलों में : ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई शिकायत के मामले में समिति यह जाँच करेगी कि पूछताछ, हस्तक्षेप या किसी अन्य सहायता की आवश्यकता है या नहीं।
- ऐसी अपीलों के मामलों में, जहाँ अपीलीय निकाय के स्थान तक शिकायतकर्ता को स्वयं यात्रा करके आने में कठिनाई हो।
- अपवादी मामलों में, तृतीय पक्ष/साक्षी शिकायतकर्ताओं पर विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में समिति यह सुनिश्चित करेगी कि यौन उत्पीड़ित महिला औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करवाना चाहती है या नहीं। ऐसी शिकायत प्राप्त होते ही समिति विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जाँच की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी।
- यदि शिकायतकर्ता चाहे तो वह एक प्रतिनिधि साथ ला सकती है।
- शिकायतें यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के किसी भी संबद्ध सदस्य को सीधे दर्ज करवाई जा सकती हैं या एन.सी.ई.आर.टी. के प्राधिकारियों, अकादमिक और गैर-अकादमिक स्टाफ एसोसिएशन इत्यादि जैसे शिकायत दर्ज करवाने के मौजूदा माध्यमों से दर्ज करवाई जा सकती हैं। यदि शिकायत ऐसे किसी माध्यम के जरिए की जाती है तो जिस व्यक्ति को शिकायत की गई है उसे शिकायत प्राप्त होने से दो कार्य दिवसों के भीतर शिकायत की जानकारी समिति को देनी होगी।
- निदेशक द्वारा शिकायत सीधे एनआईई यौन उत्पीड़न विरोधी शीर्ष समिति (एनआईई सीएएसएच) को भेजी जा सकती है। तथापि, ऐसे मामलों में, जो अपवादस्वरूप होंगे, निदेशक ऐसा करने के कारणों का अभिलेखन करेंगे।
- शिकायत मौखिक रूप से अथवा लिखित रूप में की जा सकती है। यदि शिकायत मौखिक रूप से की जाती है तो समिति के शिकायत प्राप्तकर्त्ता सदस्य द्वारा इसे लेखबद्ध किया जाएगा और इस शिकायत के लिखित रूप को शिकायतकर्ता द्वारा यथास्थिति अपने दिनांकित हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान से अधिप्रमाणित करना होगा।
- समिति के किसी भी सदस्य को की गई सभी शिकायतें सदस्य द्वारा प्राप्त व रिकार्ड की जाएंगी तथा शिकायत के संबंध में अध्यक्ष को सूचना दी जाएगी जिसके द्वारा समिति की बैठक बुलाई जाएगी।
- समिति की सभी बैठकें अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएंगी और बैठक की सूचना कम से कम पांच कार्यदिवस पहले दी जानी चाहिए। अपवादस्वरूप मामलों में आवश्यकतानुसार आपातकालीन बैठक बुलाई जा सकती है।
- शिकायत की प्राप्ति के दस दिन के भीतर, संबद्ध यौन उत्पीड़न विरोधी समिति को यह निर्धारित करना होगा कि यौन उत्पीड़न का प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। यह समिति शिकायत पर सावधानीपूर्वक विचार करेगी और समिति द्वारा जाँच समिति गठित की जाए या नहीं यह निर्धारित करने के लिए समिति शिकायतकर्ता और प्रतिवादी और/या किसी अन्य संगत व्यक्ति का पक्ष

Scanned by CamScanner

सुनेगी। यदि समिति इस प्रारंभिक अवस्था में प्रतिवादी के पक्ष को सुनना जरूरी समझती है तो वह इस उद्देश्य के लिए निर्धारित फार्म में उसे नोटिस जारी करेगी।

- ऐसा कोई भी व्यक्ति जो यौन उत्पीड़न का/की शिकायतकर्ता, गवाह या प्रतिवादी हो इस जाँच समिति का सदस्य नहीं होगा/होगी।
- किसी लिखित शिकायत में, यदि समिति के किसी भी सदस्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप होगा तो उस आरोपी सदस्य को उस शिकायत की जाँच के दौरान सदस्य पद से हटना होगा।
- **यदि यौन उत्पीड़न विरोधी समिति शिकायत पर जाँच नहीं करने का निर्णय लेती है तो उसे समिति की बैठक के कार्यवृत्त में इसके कारणों का उल्लेख करना होगा। समिति लिखित रूप में इन्हीं कारणों को शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध करवाएगी।**
- विशिष्ट उद्देश्यों हेतु, एनआईई यौन उत्पीड़न विरोधी शीर्ष समिति और आर.आई.ई. यौन उत्पीड़न विरोधी शीर्ष समिति में से एक उप जाँच समिति गठित की जा सकती है और मामले की आवश्यकतानुसार विशेष रूप से विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जा सकता है।

जाँच समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और लैंगिक संवेदनशीलता की परिधि में प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करेगी।

I. जाँच कार्रवाई के दौरान शिकायतकर्ता और/या उनके गवाहों और प्रतिवादी को अलग-अलग बुलाया जाएगा ताकि वे भयमुक्त माहौल में अभिव्यक्ति के अधिकार को सुनिश्चित रखते हुए अपनी बात सामने रख सकें।

II. जांच के दौरान शिकायतकर्ता को अपने साथ एक प्रतिनिधि को लाने की अनुमति होगी।

III. जाँच समिति न्यूनतम संभव समय में जाँच को पूरा करने का प्रयास करेगी। शिकायत मिलने की तिथि के उपरांत तीन माह से अधिक का समय नहीं लिया जाएगा।

IV. शिकायत समिति द्वारा जांच की कार्रवाई के प्रारंभ करने से एक सप्ताह के भीतर जाँच समिति एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें शिकायत का सारांश - जैसे आरोपित घटना होने का स्थान, उसकी तिथि व समय होगा और इसे समिति शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को देगी। प्रतिवादी को यह सारी जानकारी इस उद्देश्य के लिए विहित प्रारूप में दी जाएगी। और इसके साथ इस नीति के नियमों और कार्यविधियों की वास्तविक प्रति भी संलग्न होगी। समिति प्रतिवादी को शिकायतकर्ता(ओं) द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत(तों) की वास्तविक प्रति भी उपलब्ध कराएगी।

V. समिति प्रतिवादी पर लगाए गए आरोपों के महत्वपूर्ण ब्योरे प्रतिवादी को लिखित रूप में सूचित करेगी और प्रतिवादी को आरोप-पत्र का जवाब देने के लिए 5 दिन का समय दिया जाना चाहिए।

VI. जाँच समिति शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों को अपने-अपने मामले को प्रस्तुत करने और स्वयं के बचाव के लिए यथोचित अवसर प्रदान करेगी।

Scanned by CamScanner

VII. जाँच की प्रथम सूचना प्राप्त होने के अधिकतम पाँच कार्य दिवसों के भीतर, शिकायतकर्ता और प्रतिवादी जाँच समिति के संयोजक को उन गवाहों की सूची, उनके संपर्क संबंधी विवरण सहित लिखित में प्रस्तुत करेंगे जिनसे वह जाँच समिति के समक्ष पूछताछ करवाने के लिए पेश करना चाहते/चाहती हैं।

VIII. जाँच समिति के समक्ष अपने-अपने गवाह पेश करने का दायित्व शिकायतकर्ता व प्रतिवादी का होगा। तथापि, यदि जांच समिति समझती है कि विवादों के किसी भी पक्ष की अनुपस्थिति के आधार वैध हैं तो समिति उस विशिष्ट बैठक को अधिकतम पाँच दिन तक के लिए स्थगित कर सकती है। इसके उपरांत यदि संबद्ध व्यक्ति बिना पूर्व सूचना/वैध आधार के उक्त स्थगित बैठक में उपस्थित नहीं होता/होती तो इस प्रकार स्थगित की गई बैठक का पुन: संचालन किया जाएगा।

IX. जाँच समिति, यदि ऐसा करना न्याय के हित में समझती है तो, किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए कह सकती है।

X. जाँच समिति जिस शिकायत की जाँच कर रही है उससे संबंधित किसी भी सरकारी कागजात या दस्तावेज को मांगने की अधिकारी होगी।

XI. जाँच समिति प्रतिवादी के विरुद्ध प्राप्त किसी भी पिछली शिकायत को संगत मान सकती है। तथापि, शिकायतकर्ता के पिछले यौन इतिहास की जाँच पड़ताल नहीं की जाएगी क्योंकि ऐसी जानकारी यौन उत्पीड़न की शिकायत के संबंध में अप्रासंगिक मानी जाएगी।

XII. जाँच समिति को अनुपूरक परिसाक्ष्य और/या स्पष्टीकरण के उद्देश्य से प्रतिवादी, शिकायतकर्ता और/या किसी गवाह को जितनी बार जरूरी हो उतनी बार आवश्यकतानुसार बुलाने का अधिकार है।

XIII. प्रतिवादी, शिकायतकर्ता और गवाहों को जाँच कार्रवाई की तिथि, समय और स्थान के विषय में लिखित रूप में कम से कम 72 घंटे पहले सूचित किया जाएगा। बैठक की तिथि, समय और स्थान के बारे में गवाहों को सूचित करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता/प्रतिवादी की होगी।

XIV. यदि प्रतिवादी बिना किसी वैध आधार के लगातार तीन सुनवाइयों में जाँच समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होता तो जाँच समिति को जाँच प्रक्रिया को समाप्त करने और शिकायत के संबंध में एकपक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा।

XV. जाँच के स्थल का निर्धारण करते समय शिकायतकर्ता की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

XVI. यदि शिकायतकर्ता, प्रतिवादी या गवाह, जाँच समिति के समक्ष अपनी पसंद के किसी एक व्यक्ति के साथ उपस्थित होना चाहते हों तो उन्हें समिति के संयोजक को उस व्यक्ति का नाम सूचित करना होगा। ऐसा व्यक्ति मात्र प्रेक्षक की हैसियत से उपस्थित रहेगा और कारवाई के दौरान उसकी उपस्थिति उसी व्यक्ति के साक्ष्य तक सीमित होगी जिसके साथ वह आया है।

XVII. शिकायतकर्ता और सभी गवाहों की पहचान को जाँच समिति द्वारा प्रक्रिया के दौरान संरक्षित और गोपनीय रखा जाएगा।

Scanned by CamScanner

XVIII. शिकायतकर्ता(ओं) और प्रतिवादी या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति को गवाहों के नामों और पहचान के अलावा रिकॉर्डिंग्स की लिखित अनुलिपियों की जांच-पड़ताल करने का अधिकार होगा। शिकायतकर्ता और/या प्रतिवादी की ओर से नामित व्यक्ति केवल एन.सी.ई.आर.टी. का/की ही सदस्य हो सकता/सकती है । यौन उत्पीड़न के अपराधी पाए गए व्यक्ति को नामिती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी यदि इस अधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो उसे जाँच समिति को विशेष रूप से सूचित करना चाहिए। संबद्ध पक्ष इन दस्तावेजों को यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के कार्यालय से बाहर किसी भी हालत में नहीं ले जा सकते।

XIX. शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को सभी गवाहों के साथ प्रतिपरीक्षा (जिरह) करने का अधिकार होगा। तथापि, ऐसी प्रतिपरीक्षा केवल समिति के माध्यम से लिखित प्रश्नों और उत्तरों के रूप में की जाएगी। प्रतिवादी को शिकायतकर्ता या उसके गवाह के साथ सीधे प्रतिपरीक्षा का अधिकार नहीं होगा।

XX. प्रतिवादी/शिकायतकर्ता उन प्रश्नों को लिखित सूची के रूप में जाँच समिति को प्रस्तुत कर सकता(ती) है जिन्हें वह शिकायतकर्ता/गवाह से पूछना चाहता/ती है। समिति यदि किसी प्रश्न(नों) को असंगत, शरारतपूर्ण, निंदात्मक, अपमानसूचक या लैंगिक-संवेदनहीन पाती है तो उस प्रश्न को पूछे जाने की अनुमति न देने का अधिकार रखती है। यदि प्रतिवादी या उसके नामिती की ओर से कोई मौखिक या अन्य ऐसा व्यवहार, शिकायतकर्ता या उसके गवाह को मानसिक या शरीरिक आघात पहुंचाने के लक्ष्य से या डराने-धमकाने के लिए किया जाता है, तो इस संबंध में समिति प्रतिवादी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती है।

XXI. जाँच समिति की सभी कार्रवाइयाँ लिखित रूप से रिकार्ड की जाएंगी। कार्रवाइयाँ और गवाहों के बयान के लिखित रिकॉर्ड को संबद्ध व्यक्तियों द्वारा उनकी प्रमाणिकता के संकेत के रूप में पृष्ठांकित किया जाएगा ।

XXII. जाँच समिति ने जिन व्यक्तियों के बयान लिए हों वे सभी तथा प्रेक्षक/नामिति, शिकायतकर्ता और प्रतिवादी की गरिमा बनाए रखने के लिए कार्रवाईयों को गुप्त रखने की शपथ लेंगे व उसका अनुपालन करेंगे। गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करने वाला दंड का भागी होगा।

अपवाद: शिकायतकर्ता यदि यौन उत्पीड़न की शिकायत को सार्वजनिक करना चाहे तो उसे ऐसा करने का अधिकार है। यदि शिकायतकर्ता यौन उत्पीड़न समिति में शिकायत दर्ज करने से पहले इसे सार्वजनिक करे तो इससे समिति के सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार समिति को शिकायत दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता के लिए पूछताछ पूरी होने तक शिकायत को सार्वजनिक न करना ही उचित होगा जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण न हो।

XXIII. समिति के सदस्य अपनी कार्रवाइयों की गोपनीयता को बनाए रखेंगे।

XXIV. यदि शिकायतकर्ता प्रमाण के रूप में कोई दस्तावेज/कागज़ात प्रस्तुत करना चाहे तो जाँच समिति प्रतिवादी को ऐसे दस्तावेजों की वास्तविक प्रति देगी। इसी प्रकार, यदि प्रतिवादी प्रमाण के रूप में किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करना चाहे तो जाँच समिति शिकायतकर्ता को इसकी वास्तविक प्रतियाँ उपलब्ध कराएगी।

Scanned by CamScanner

XV. जब जाँच समिति अनुपूरक साक्ष्य की आवश्यकता महसूस करे, उस स्थिति में जाँच समिति का/की संयोजक संबद्ध व्यक्ति को कार्रवाइयों का सारांश भेजेगा/गी और समिति के समक्ष ऐसा साक्ष्य व्यक्तिगत या लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसे सात दिन का समय दिया जाएगा।

XXVI. शिकायत समिति को किसी ऐसे नए तथ्य या प्रमाण का संज्ञान लेने से रोका नहीं जा सकता जो जाँच की कार्रवाइयों की विचाराधीनता के दौरान उठा हो या समिति के समक्ष लाया गया हो। यदि उपयुक्त अनुशासनिक प्राधिकारी को जाँच-पड़ताल की रिपोर्ट जमा करवाने के पश्चात् कोई नया तथ्य या प्रमाण यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के संज्ञान में लाया जाता है तो फिर से गठित की गई जाँच समिति में वर्तमान जाँच समिति के कम से कम आधे सदस्य वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने उक्त शिकायत की मूलत: जाँच की हो।

XXVII. यह समिति यौन उत्पीड़न के गोपनीय, निजी और कपटपूर्ण स्वरूप के प्रति संवेदनशील होगी और यह ध्यान रखेगी कि अक्सर पीड़ित महिलाएँ प्रत्यक्ष या समर्थक प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ होती हैं।

XXVIII. यह समिति पीड़ित महिला के चरित्र, व्यक्तिगत जीवन, आचरण, व्यक्तिगत और यौन इतिहास पर आधारित किसी साक्ष्य या छानबीन की अनुमति नहीं देगी।

XXIX. यह समिति साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय पक्षों की निजी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, उनके संगठन/कार्यस्थल में उनके पदानुक्रम, नियोक्ता-कर्मचारी समीकरणों और अन्य शक्तिपरक अंतरों को ध्यान में रखेगी।

XXX. जब तक कि यौन उत्पीड़न की अभिकथित पीड़ित अपना प्रमाण मौखिक रूप से देने का विकल्प न दे, जाँच समिति शिकायतकर्ता(ओं) को यह सूचित करेगी कि वह अपने साक्ष्य लिखित रूप में दे सकती हैं बशर्ते कि प्रतिवादी द्वारा इस साक्ष्य की जाँच-पड़ताल किए जाने के समय वह स्वंय उपलब्ध रहे।

XXXI. यह समिति शिकायतकर्ता(ओं) को सूचित करेगी कि पूछताछ कार्रवाई में प्रतिपरीक्षा के दौरान वह संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दे सकती है।

XXXII. यौन उत्पीड़न की शिकायत संबंधी जाँच और पूछताछ के दौरान प्राप्त सारी जानकारी संबद्ध यौन उत्पीड़न विरोधी समिति द्वारा गोपनीय रखी जाएगी और इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् किसी आवेदन के अनुसरण में उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(ई) के तहत् ऐसी सूचना एक अपवाद मानी जाएगी क्योंकि वह यौन उत्पीड़न विरोधी समिति द्वारा न्यासीय संबंध में रखी गई है और उसका प्रकट न किया जाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा। इसके विपरीत ऐसी सूचना का प्रकटन शिकायतकर्ता या किसी भी गवाह के जीवन अथवा शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इस नियम का एक अपवाद तब होगा जब शिकायतकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत स्वयं सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करें।

जाँच समिति

Scanned by CamScanner

जाँच 90 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी : जाँच प्रारंभ होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करके यौन उत्पीड़न विरोधी समिति को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जाँच रिपोर्ट की प्रस्तुति में किसी भी प्रकार के विलंब की स्थिति में उसके कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड किया जाएगा।

1. जाँच समिति के निष्कर्ष

(क).समिति अपनी जाँच पूरी करने के उपरान्त इसके निष्कर्षों की विस्तृत और लिखित रिपोर्ट तैयार करेगी। जाँच रिपोर्ट में प्रतिवादी पर लगाया गया/लगाए गए आरोप(पों), दिए गए बयानों का विवरण और प्रस्तुत किए गए प्रमाणों और जिन कारणों से जाँच समिति निष्कर्षों तक पहुँची उनपर चर्चा का ब्योरा प्रस्तुत करना होगा।

(ख).शिकायतकर्ता या प्रतिवादी दोनों में से किसी के भी कार्य और व्यवहार संबंधी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी जो कथित यौन उत्पीड़न कृत्य से संबंधित नहीं है। तथापि, समिति प्रतिवादी के प्रति पूर्व के यौन उत्पीड़न की शिकायत को ध्यान में रख सकती है।

2. जाँच पूरी हो जाने पर कथित समिति विस्तृत और तर्कसंगत आदेश द्वारा निम्नलिखित में से कोई आदेश पारित कर सकती है :

(क) यदि जाँच समिति शिकायत को योग्य नहीं पाती है तो वह अपने निष्कर्षों के कारण देते हुए सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में बताएगी। तब संबद्ध समिति उस शिकायत को खारिज कर सकती है जिस पर जाँच की जा रही थी।

(ख) यदि जाँच समिति शिकायतों को संतुलन अथवा संभावनाओं पर खरा पाती है तो वह उसके विस्तृत और तर्कसंगत निष्कर्ष देगी।

(ग) यदि जाँच समिति प्रतिवादी को यौन उत्पीड़न का अपराधी पाती है तो वह उसके अपराध की गंभीरता को और शिकायतकर्ता पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सुझाव देगी कि उस पर किस तरह की अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। वह यह भी संस्तुति करेगी कि अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने के बाद अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अपराधी की पहचान, कदाचार और की गई अनुशासनिक कार्रवाई को सार्वजनिक बनाया जाए या नहीं।

समिति की रिपोर्ट

i. समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय सिविल सेवा (आचारण) नियमावली, 1964 या संबद्ध शैक्षिक संस्थान को शासित करने वाले अन्य नियमों के तहत् जाँच रिपोर्ट मानी जाएगी।

ii. यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के अध्यक्ष समिति की रिपोर्ट तैयार होने के 5 दिनों के भीतर बैठक बुलाएंगे। यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के प्रत्येक सदस्य को पूरी पूछताछ व जाँच-पड़ताल कार्रवाई या उसके किसी हिस्से के बारे में जानने का अधिकार होगा। यौन उत्पीड़न विरोधी समिति रिपोर्ट यदि कोई अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश 'यदि कोई हो' तो उस पर चर्चा करेगी। जाँच

Scanned by CamScanner

समिति की रिपोर्ट स्वीकार करने के पांच दिन के भीतर यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के अध्यक्ष, जाँच रिपोर्ट यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के सदस्यों की राय के सार सहित निदेशक को भेजेंगें।

अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

1. जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी जाँच रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी यौन उत्पीड़न विरोधी समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों से असहमत है या उनमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो लिखित कारण दर्ज करते हुए ऐसा कर सकते हैं। संबंधित यौन उत्पीड़न विरोधी समिति को इस तथ्य की लिखित सूचना भी दी जाएगी।
2. अनुशासनिक प्राधिकारी जाँच रिपोर्ट की एक-एक प्रति शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को देंगे।
3. तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी, प्रतिवादी को यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के निष्कर्षों के अनुसरण में सेवा नियमों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप मौखिक या लिखित प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उत्तर देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात ही अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे।
4. अनुशासनिक प्राधिकारी **यौन उत्पीड़न विरोधी समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के एक माह के भीतर अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे।**
5. इस नीति के अंतर्गत यौन उत्पीड़न का कोई भी अभियुक्त व्यक्ति इस भाग में वर्णित निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा।

अपील

1. शिकायतकर्ता और प्रतिवादी यदि संबद्ध यौन उत्पीड़न विरोधी समिति या अनुशासनिक अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो उन्हें अपील करने का अधिकार होगा।
2. अपील निम्नलिखित के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी :

अ) आरआईई कैश के निर्णय के विरूद्ध अपील एनआईई कैश द्वारा सुनी जाएगी। यदि वे एनआईई कैश से संतुष्ट नहीं होते तो उनको एक शीर्ष निकाय में अपील करने का अधिकार होगा जिसका गठन, जब भी आवश्यक हो, एक बाह्य महिला विशेषज्ञ की अध्यक्षता में और एनसीईआरटी के दो अकादमिक सदस्यों के साथ किया जाएगा।

निवारण

1. जाँच की विचाराधीनता के दौरान यदि अभिकथित उत्पीड़क के शासकीय पद से पूछताछ में बाधा आने की संभावना हो तो आर.आई.ई. कैश एव एनआईई कैश उस व्यक्ति के स्थानांतरण/निलंबन की माँग कर सकती है।
2. यौन उत्पीड़न के पीड़ित को अपराधी के स्थानांतरण या अपना स्थानांतरण जहाँ लागू हो, मांगने का विकल्प होगा।

Scanned by CamScanner

3. जाँच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर संस्था के अध्यक्ष उस रिपोर्ट को शासी निकाय अथवा अन्य किसी उपयुक्त निकाय के पास भेजेंगे और संस्थान संबंधित यौन उत्पीड़न विरोधी समिति की सिफारशों के आधार पर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।
4. अनुशासनिक कार्रवाई यौन उत्पीड़न के स्वरूप और प्रभाव के अनुरूप होगी।

दंड

1) गैर-अकादमिक स्टाफ, विद्यार्थी, सेवा प्रदाताऔर निवासी सहित एन.सी.ई.आर.टी. और इसके संघटक का कोई भी सदस्य यदि यौन उत्पीड़न का अपराधी/दोषी पाया जाता है उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
2) नीचे दी गई सूची में विभिन्न प्रकार के दंडों का उल्लेख है किंतु ये एन.सी.ई.आर.टी. और इसके संघटक प्राधिकारियों को अन्य प्रकार के दंडों पर विचार न करने के लिए बाध्य नहीं करेगी जो एन.सी.ई.आर.टी. के सभी सदस्यों को शासित करने वाले आचरण नियमों के अनुरूप अन्य दंडों पर भी विचार कर सकते हैं।

(क)अकादमिक/प्रशासनिक/तकनीकी/गैर-अकादमिक स्टाफ/प्रबंधन के मामले में आनुशासनिक कार्रवाई निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक रूपों में हो सकती है:

1. चेतावनी
2. लिखित माफीनामा
3. सदाचार के लिए बंध-पत्र
4. लैंगिक संवेदनशीलता
5. परामर्श
6. गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियाँ
7. पर्यवेक्षी दायित्वों से विवर्जित (वंचित) करना
8. सांविधिक निकायों की सदस्यता से वंचित करना
9. पुन:नियोजन से वंचित करना
10. वेतन वृद्धि/पदोन्नति रोकना
11. प्रतिवर्तन, पदावनति
12. स्थानांतरण
13. बर्खास्तगी
14. आवासीय सुविधाएँ वापिस लेना और परिसर में प्रवेश पर रोक इत्यादि
15. कोई अन्य संगत व्यवस्था

(ख) विद्यार्थियों के मामले में अनुशासनिक कार्रवाई निम्नलिखित रूप में हो सकती है :

1. चेतावनी
2. लिखित माफीनामा

Scanned by CamScanner

3. सदाचार के लिए बंध-पत्र
4. लैंगिक संवेदनशीलता
5. परामर्श
6. होस्टल/परिसर में प्रवेश से वर्जित करना
7. परीक्षा परिणाम रोकना
8. परीक्षाओं में बैठने से रोकना
9. चुनाव लड़ने से रोकना
10. पद धारण करने से रोकना
11. निष्कासन
12. प्रवेश पर रोक
13. एक नियत समयावधि के लिए उत्पीड़क को "अग्राह्य व्यक्ति" घोषित करना/कोई अन्य संगत व्यवस्था।
14. अन्य संगत व्यवस्था

(टिप्पणी : कार्रवाई के कारण लिखित रूप में देने होंगे। शिकायतकर्ता पर किसी भी तरीके के दबाव डालने का प्रयास करने वाले व्यक्ति(यों) के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी)

3) दूसरे अपराध के मामले में दंड

यदि अपराध दोबारा किया गया है अथवा दोहराया गया है तो संबद्ध यौन उत्पीड़न विरोधी समिति की सिफारिश पर वर्धित दंड/सजा दी जा सकती है।

4) उपयुक्त मामलों में शिकायत निवारण या समाधान के गैर-प्रतिकूल तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है। मौखिक चेतावनी, मौखिक माफी, सदाचार की प्रतिज्ञा, परामर्श इत्यादि इन तरीकों के उदाहरण हो सकते हैं।

निगरानी और समीक्षा

1) क्षे.शि.सं. कैश अपनी वार्षिक रिपोर्ट एनआईई की यौन उत्पीड़न विरोधी शीर्ष समिति (कैश) को भेजें जिसमें उसके द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत ब्योरा होगा।
2) एनआईई कैश ने यौन उत्पीड़न की जिन शिकायतों का अनुवीक्षण किया उन सभी की संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्टें निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी।
3) उपर्युक्त वर्णित वार्षिक रिपोर्टों में शिकायतकर्ता और गवाह की गोपनीयता को बनाए रखा जाएगा। ये रिपोर्ट केवल एन.सी.ई.आर.टी. और उसके संघटकों को ही उपलब्ध होगी।
4) आरआईई कैश के सभी सदस्यों से मिलने और समितियों की कार्यप्रणाली संबंधी अनुभवों पर चर्चा करने के लिए एनआईई कैश वर्ष में एक बार बैठक आयोजित करेगी।

Scanned by CamScanner

नीति में संशोधन

नीति लागू होने के अनुभव के आधार पर आरआईई कैश एनआईई कैश को नीति/नियमों और प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए सुझाव देने का अधिकार होगा। एनआईई कैश सभी आरआईई कैश के साथ समुचित परामर्श के बाद नीति की उद्देशिका और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक परिवर्तन करने के लिए जब भी अपेक्षित हो, निदेशक को सिफारिश कर सकती है।

जहाँ यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध की कोटि में आता हो:

जहाँ यौन उत्पीड़न आचरण भारतीय दंड संहिता (1860 की 45) या किसी कानून के अंतर्गत विशिष्ट अपराध हो, वहाँ यौन उत्पीड़न विरोधी समिति का दायित्व होगा कि वह तत्काल शिकायतकर्ता को समुचित प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई आरंभ करने के उसके अधिकार से अवगत करवाएँ और इसके संबंध में सलाह और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। इस तरह आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई या कार्यवाहियाँ इस नीति के अंतर्गत की गई कार्यवाहियों और/या आरंभ की गई कार्रवाई के अलावा होगी।

नेटवर्किंग

क) यौन उत्पीड़न समितियाँ जागरूकता, अभिविन्यास, संवेदनशीलता और अन्य बचाव कार्य के संदर्भ में जब कभी जरूरत समझे, एन.सी.ई.आर.टी. के संबद्ध विभागों और इसके संघटकों से संपर्क स्थापित कर सकती हैं।

ख) यदि आवश्यक हो, तो निदेशक, संयुक्त निदेशक, सचिव, प्राचार्य, विभागाध्यक्ष और इसी तरह के अन्य समान प्राधिकारियों की सहायता ली जा सकती हैं।

ग) उन्हें विधि विशेषज्ञों, कानूनी सहायता केंद्रों, परामर्श केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, पुलिस थानों, महिलाओं के विरूद्ध अपराध निरोधक प्रकोष्ठों (crime against women cells), शहर के महिला समूहों और राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय/राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे अन्य संगठनों के साथ नेटवर्क स्थापित करना चाहिए।

Scanned by CamScanner